

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना  
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक:-

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादीयों/अभियुक्तों :-

1. विद्याधर शर्मा पुत्र प्रहलाद रॉय शर्मा उम्र 56 जाति ब्राह्मण  
(विक्रेता एवं भागीदार)  
हॉल निवासी- हनुमान मन्दिर के पास, (सीनियर स्कूल के पास) सालासर तह.  
सुजानगढ़ जिला चरु।  
स्थायी निवास- अंजनी माता रोड़ सालासर तह. सुजानगढ़ जिला चरु।  
फर्म- मारुति साल्ट कम्पनी, रेल्वे स्टेशन के पास, नावा सिटी।
2. इन्द्रचन्द शर्मा पुत्र प्रहलादरॉय शर्मा (भागीदार)  
फर्म- मारुति साल्ट कम्पनी, रेल्वे स्टेशन के पास, नावा सिटी।  
स्थायी निवास- अंजनी माता रोड़ सालासर तह. सुजानगढ़ जिला चरु।
3. गौतम शर्मा पुत्र रमेश शर्मा (भागीदार)  
फर्म- मारुति साल्ट कम्पनी, रेल्वे स्टेशन के पास, नावा सिटी।  
स्थायी निवास- अंजनी माता रोड़ सालासर तह. सुजानगढ़ जिला चरु।
4. श्रीमति जमना देवी शर्मा पत्नी इन्द्रचन्द शर्मा (भागीदार)  
फर्म- मारुति साल्ट कम्पनी, रेल्वे स्टेशन के पास, नावा सिटी।  
स्थायी निवास- अंजनी माता रोड़ सालासर तह. सुजानगढ़ जिला चरु।
5. श्रीमति चन्दा देवी शर्मा पत्नी विद्याधर शर्मा (भागीदार)  
फर्म- मारुति साल्ट कम्पनी, रेल्वे स्टेशन के पास, नावा सिटी।  
स्थायी निवास- अंजनी माता रोड़ सालासर तह. सुजानगढ़ जिला चरु।
6. फर्म - मैसर्स मारुति साल्ट कम्पनी, रेल्वे स्टेशन के पास, नावा सिटी

प्रकरण संख्या: 11/2020

“ अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006”



  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना (नागौर)

**उपस्थिति:**

1. अजीत सिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण
1. प्रार्थी राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर।

**-:निर्णय :-**

**दिनांक: 10 मार्च, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.09.2019 को समय 03:03 पी.एम. पर फर्म मैसर्स मारुति साल्ट कम्पनी रेल्वे स्टेशन के पास नावा सिटी में स्थित संस्थान पर पहुंचां। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विद्याधर शर्मा पुत्र प्रहलाद रॉय शर्मा उम्र 56 जाति ब्राह्मण उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते आयोडाईज्य नमक रखा पाया। विक्रेता विद्याधर शर्मा से पूछने पर उक्त संस्थान का खाद्यकारोबारकर्ता व भागीदार होना बताया। उक्त फर्म का भागीदारी फर्म होना बताया तथा मौके पर भागीदारी पत्र प्रस्तुत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता कारोबारकर्ता ने रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (टाटा ब्राण्ड) के 1-1 किलो वाले पैकेटो के लगभग 800 कट्टे (प्रत्येक में 25 पैकेट) आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिसब्राण्ड, सबस्टेण्डर्ड व अनसेफ का शक होने पर नमूना लेने की सूचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह आयोडाईज्य नमक (टाटा ब्राण्ड) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे हैं। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त 800 कट्टो में से रैंडमली एक कट्टा खुलवाकर उस में से 4 पैकेट आयोडाईज्य नमक (टाटा ब्राण्ड) मूल ही सीलड अवस्था में वास्ते जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रु. 20/- (अक्षरे बीस रु. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।





**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डी.डी.नागौर**

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) के लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न०, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q-1179 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विद्याधर शर्मा एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 16.09.2019 को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोटलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 16.09.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ पदार्थ आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) की जांच रिपोर्ट संख्या LS/96/Act/2019/96 दिनांक 20.09.2019 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता विद्याधर शर्मा से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) का नमूना Q-1179 सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता विद्याधर शर्मा को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता विद्याधर शर्मा ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।



  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना (नागौर)

प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(3) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 10.02.2021 को प्रतिवादी विद्याधरा शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड़ ने वकालतनाम प्रस्तुत किया तथा लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि

(i) अप्रार्थीगण के मारुति साल्ट कम्पनी नाम की फर्म नावां शहर में स्थित है जहाँ पर कच्चे नमक की पीसाई व पैकिंग का कार्य किया जाता है जो खाद्य मानको का पूर्ण ध्यान रखते हुए ही किया जाता है।


(ii) अप्रार्थीपक्ष द्वारा खरीदा गया कच्चा नमक अप्रार्थीपक्ष के फर्म तक आते-आते प्राकृतिक तापमान की वजह से व खुला होने की वजह से आयोडीन व मिनरल उड़ जाते हैं फिर भी फर्म खाद्य मानको के अनुसार ही नमक तैयार करते हैं।

(iii) अप्रार्थीपक्ष की फर्म उक्त कार्य पिछले 13 वर्षों से कर रही है आज तक किसी प्रकार की शिकायत नहीं आयी है। अतः अप्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड़ ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीपक्ष के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमावे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.09.2019 को जिस आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) का नमूना जांच के लिये फर्म- मारुति साल्ट कम्पनी, रेल्वे स्टेशन के पास, नावा सिटी से लिया गया था जो नमूना Q-1179 खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया है।

(4) प्रकरण में प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड़ तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड़ को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी



  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना (नागौर)


सबरस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 13.09.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 03:03 पी.एम. पर फर्म मारुति साल्ट कम्पनी, रेल्वे स्टेशन के पास नावा सिटी में पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विद्याधर शर्मा पुत्र प्रहलाद रॉय शर्मा उम्र 56 जाति बाह्यण स्थायी निवासी अंजनी माता रोड़ सालासर, तह. सुजानगढ़ जिला चुरु उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) खाद्य पदार्थ रखा पाया। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान का भागीदारी संस्थान होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति से संस्थान का निरीक्षण किया जहाँ पर आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) के 1-1 किलो के पैकेटों के लगभग 800 कट्टे आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जाँच हेतु ले रहे हैं। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त संस्थान में रखे लगभग 800 कट्टों में से रैंडमली एक कट्टा खुलवाकर उसमें से 4 पैकेट आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) मूल ही सीलड अवस्था में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रु. 20/- (अक्षरे बीस रु. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से



  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डेवडाना (नागौर)


चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q-1179 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विद्याधर शर्मा एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म:-मारुति साल्ट कम्पनी, रेल्वे स्टेशन के पास, नावा सिटी, विक्रेता मालिक विद्याधर शर्मा पुत्र प्रहलाद रॉय शर्मा जाति बाह्यण, स्थायी निवासी- अंजनी माता रोड़ सालासर तह. सुजानगढ़ जिला चुरू से खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.09.2019 को एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 16.09.2019 को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 16.09.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/96/Act/2019/96 दिनांक 20.09.2019 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

**Opinion-**The sample of Iodised Salt (Tata brand) bearing Code No. and Sr. No. Q-1179 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Sub-standard** as it does not conform to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011.



  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डी.डवाना (नागौर)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) की जांच रिपोर्ट संख्या LS/96/Act/2019/96 दिनांक 20.09.2019 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता विद्याधर शर्मा से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) का नमूना Q-1179 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड है।  
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार है:-

**धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-**


- (2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:-  
(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है-

**धारा 51:-अवमानक खाद्य के लिए शास्ति:-**

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

- (7) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक:चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2019/523-24 दिनांक 15.10.2019 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (टाटा नमक) Q-1179 सबस्टेण्डर्ड है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म मारुति साल्ट कम्पनी, रेल्वे स्टेशन के पास, नावा सिटी दोषी व उत्तरदायी है।




  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डी.डवाना (नागौर)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-51 के तहत फर्म:- मारुति साल्ट कम्पनी, रेल्वे स्टेशन के पास, नावा सिटी पर राशि रुपये 35000/- ( अक्षरे पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(8) आदेश दिनांक 10.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(रिछपाल सिंह बुरडक)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना